20/6/22 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस बाबत प्रा० पत्र O-7 R-11 CPC सुनी गई। बहस पर मनन करके एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् पाया गया कि प्रार्थना पत्र O-7 R-11 CPC स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार किया जाकर मूल वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना